न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– जीसीएमएस नंबर 2023/148
मैन्युअल नंबर 132/2023

रजु दिनांकः :– 27.12.2023

1. रामसहाय पुत्र नारायण
2. गिर्राज उर्फ हारया
3. छोटया उर्फ छोटूलाल
4. रामखिलाडी — पि0 रामपाल
5. कालू
6. चौथी
7. गन्दोडी

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी मण्डावरा की ढाणी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट जिला दौसा

(अपीलान्टस)

बनाम

1. हरकेश
2. राजाराम — पि0 स्व0 माधोलाल
3. सीताराम
4. रामकिशोर
5. सन्तरा
6. बच्ची पत्नी स्व0 माधोलाल
7. तीजो देवी पत्नी स्व0 बुद्धालाल

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी मण्डावरा की ढाणी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट जिला दौसा

8. राजेन्द्र पुत्र स्व0 बुद्धालाल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता तीजो देवी पत्नी स्व0 बुद्धालाल जाति माली निवासी कस्बा लालसोट
9. उपपंजीयक लालसोट जिला दौसा

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

10.राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांट की ओर से : अधिवक्ता श्री घनश्याम सैनी
02. रेस्पोडेन्टस 1 लगा0 8 की ओर से : अधिवक्ता श्री पं0 रामबाबू शर्मा

निर्णय दिनांकः 27/9/24

अपील विरूद्ध तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 824 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट का आदेश दिनांक 27.10.1977 अ0 धा0 75 रा0भू0रा0अधि0

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक अपील विरूद्ध तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 824 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट का आदेश दिनांक 27.10.1977 पेश कर अपीलान्टस की सजरा वंशावली प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट्स ने कथन किए है कि अपीलांटस व रेस्पो0 1 लगायत 8 आपस में भाईबन्ध एवं एक ही पूर्वज भोरया के उत्तराधिकारीगण है। अपीलान्टस व रेस्पो0 सं0 1 लगायत 8 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 2984 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह, ख0नं0 2985 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा चाही–3 वाकै कस्बा लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिस पर हिस्सा 1/2 पर अपीलान्टस काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्टस के पूर्वज भौरया के तीन लडके नारायण, पन्ना व कल्याण थे। नारायण व कल्याण विवाहित थे एवं पन्ना अविवाहित होने के कारण उसके कोई पुत्र पुत्री संतान नही थी। भौरया के तीनो लडको का बराबर–बराबर हिस्सा था। पन्ना की मृत्यु पश्चात पन्ना के हिस्सा की भूमि को नारायण व कल्याण के वारीसान ने बाहमी बंटवारा कर मौके पर हिस्सा 1/2–1/2 पर काबिज काश्त है। परंतु माधोलाल पुत्र कल्याण ने ख0नं0 2984 व 2985 में पन्ना पुत्र भौरया का वारीस बनकर गुपचुप में राजस्व ऐजेन्सी से मिलिभगत कर उक्त ख0नं0 भूमि का अपने नाम नामान्तकरण दिनांक 27.10.1977 को अवैध रूप से खुलवा लिया था जबकि माधोलाल, कल्याण का लडका है इसके अलावा केशरीलाल व बाबूलाल भी कल्याण के ही लडके है। केशरीलाल, माधोलाल व बाबूलाल एक ही पिता कल्याण की संतान है। माधोलाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसके वारीसान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 8 है। रेस्पोडेन्टगण प्रश्नगत नामा0 दिनांक 27.10.1977 की आड में उक्त पैतृक भूमि को ट्रांसफर करने पर आमादा है।

अपीलांटस ने अपनी अपील के समर्थन में आधार कथन किए है कि प्रश्नगत नामा0 सं0 824 वाकै कस्बा लालसोट जिला दौसा दिनांक 27.10.1977 जो कि अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतया कानून कायदो, विधि की सम्यक प्रक्रियाओ की पालना किये बिना ही एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो प्रथमतः ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट ने पन्ना पुत्र भौरया के विधिक वारीसान की जॉच किये बिना ही, न ही पन्ना के प्रथम श्रेणी के वारीसान की जॉच किये बिना ही तथा न ही वास्तविक जॉच किये बिना ही प्रश्नगत नामा0 सं0 824 वाकै कस्बा लालसोट दिनांक 27.10.1977 को स्वीकृत कर जानबूझकर गलती की है। तहसीलदार लालसोट द्वारा पन्ना के वारीस होने की घोषणा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर की गई जबकि लीगल वारीस की घोषणा का अधिकार क्षेत्र राजस्व ऐजेन्सी को नही रहा है, न ही है। पन्ना पुत्र भौरया व नारायण पुत्र भौरया की विरासत का एक ही नामान्तकरण संख्या 824 कस्बा लालसोट तस्दीकी दिनांक 27.10.1977 खोला गया है जो कानूनन अवैद्य है। माधोलाल

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

पुत्र कल्याण ने राजस्व ऐजेन्सी से साजकर अपने पिता कल्याण पुत्र भौरया के हिस्से की भूमि भी प्राप्त कर ली एवं पन्ना पुत्र भौरया के हिस्से की भूमि में नामान्तकरण खुलवा लिया जो [illegible]ध है। अतः उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्तनीय है।

अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत कर अपीलान्टस की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 824 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा बावत तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.1977 निरस्त फरमाया जाकर पुनः अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अपीलांटस की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई तथा तहसीलदार लालसोट से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति एवं जवाब दफा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लालसोट की निर्वाचक नामावली 1980 भाग संख्या 46 प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलान्टस की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 824 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.1977 निरस्त फरमाया जाकर पुनः अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 द्वारा उठाई गई आपत्ति मियाद अस्वीकार की जाती है। अपील जानकारी से विहित समयावधि मानी जाकर बहस सुनी गई।

अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर नामांतरण संख्या 824 दिनांक 27.10.1977 वाकै कस्बा व तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः विरासत के नामान्तकरण बाबत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...27.12.21...को उभय पक्ष की मौजूदगी में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)